

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 1.7.2009

क्रमांक एफ-1-15/2009/1/चौतीस : बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 सेक्शन IV के सरल क्रमांक 53 एवं 55 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा "कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सर्वे खण्ड, इन्दौर" का नाम एवं मुख्यालय परिवर्तित करते हुए "कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड, सरदारपुर, जिला-धार" स्थापित किया जाता है। इसका मुख्यालय--सरदारपुर जिला धार होगा। साथ ही वर्तमान में कार्यरत निम्नलिखित उपखण्ड कार्यालयों को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार नाम परिवर्तित कर उक्त नये खण्ड के अधीन रखे जाते हैं :-

अनुक्र०	उपखण्ड कार्यालय का नाम	नवीन परिवर्तित नाम	मुख्यालय
1	सर्वे उपखण्ड, इन्दौर	गुणवत्ता नियंत्रण, उपखण्ड, सरदारपुर	सरदारपुर
2	उपखण्ड, कुक्षी (खण्ड धार के अधीन)	गुणवत्ता नियंत्रण, उपखण्ड, कुक्षी	कुक्षी
3	फ्लोरोसिस परियोजना उपखण्ड, झाबुआ (खण्ड, अलीराजपुर के अधीन)	गुणवत्ता नियंत्रण, उपखण्ड, पेटलावद	पेटलावद

2/- उक्त नवीन खण्ड एवं उपखण्ड स्थापित होने के पश्चात धार/झाबुआ/अलीराजपुर जिले हेतु स्वीकृत गुणवत्ता नियंत्रण योजनाओं का परिवर्तित कार्य विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-


गुणवत्ता नियंत्रण, खण्ड, सरदारपुर

1. बदनायर विकास खण्ड की कालकीराय जलाशय आधारित योजना, लागत रूपये 1251.0 लाख एवं सरदारपुर, विकास खण्ड की योजना, लागत रूपये 902.0 लाख, गुणवत्ता नियंत्रण, उपखण्ड सरदारपुर के अंतर्गत ।
2. धार जिले के 4 विकास खण्डों की नर्मदा नदी पर आधारित योजना (कुक्षी, बाग, निसरपुर, डही) लागत रूपये 7865.0 लाख गुणवत्ता नियंत्रण, उपखण्ड कुक्षी के अंतर्गत ।
3. झाबुआ जिले के 5 विकास खण्डों की माही बांध आधारित योजना (पेटलावद, सांदला, झाबुआ, रामा, राणापुर) लागत रूपये 5049.0 लाख, गुणवत्ता नियंत्रण, उपखण्ड, पेटलावद के अंतर्गत ।
4. उपरोक्त योजनाओं को छोड़कर शेष समस्त योजनाएं एवं कार्य संबंधित जिले के खण्ड, धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर द्वारा पूर्ववत संपादित किये जायेंगे ।

5. वर्तमान में उपखण्ड, कुशी द्वारा संपादित किये जा रहे कार्य (गुणवत्ता नियंत्रण, उपखण्ड, कुशी को आवंटित कार्यों को छोड़कर) उपखण्ड, निसरपुर, खण्ड, धार द्वारा संपादित किये जायेंगे।

3/- यह सहमति वित्त विभाग के यू0ओ0क0-58/408/बी-9/चार, दिनांक 1.7.2009 द्वारा प्राप्त हुई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(ए0के0कोटवाला)

अवर सचिव


मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 1/7/2009

क्रमांक एफ-1-15/2009/1/चौतीस
प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश खालियर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
4. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, खालियर/भोपाल।
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
9. संभागीय आयुक्त, इन्दौर।
10. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
11. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मध्य प्रदेश, भोपाल।
12. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र (सिविल/मैकेनिकल) म0प्र0।
13. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मध्य प्रदेश।
14. कलेक्टर, जिला-इन्दौर/धार/झाबुआ एवं अलीराजपुर।
15. समस्त कार्यपालन सुपरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड/परियोजना/सर्वेक्षण/संरक्षण/नियंत्रण/संचारण खण्ड/मैकेनिकल, मध्य प्रदेश।
16. जिला कोषालय अधिकारी, इन्दौर/धार/झाबुआ एवं अलीराजपुर।
17. आर्कर बुक।



(ए0के0कोटवाला)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग